न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—87/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00163)

1. इन्द्र कुमार चेला स्व0 श्री मोतीदास उर्फ मोतीराम, जाति स्वामी मकान नम्बर 2301, मोतीसिंह भौंमियों का रास्ता, पहला चौराहा, जौहरी बाजार जयपुर हाल हीरानन्दनी गार्डन, पापड़ अन्धेरी ईस्ट मुम्बई।

—अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार फागी, जिला जयपुर।
2. श्रवण पुत्र श्री बालू,
3. हनुमान पुत्र श्री बालू, जाति चमार (बैरवा) निवासीयान कूच्यावास, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. रामेश्वर पुत्र श्री बालू, जाति चमार (बैरवा) निवासी कूच्यावास तहसील फागी, जिला जयपुर (मृतक दौराने अपील)
   4/1. श्रीमति गंगा देवी पत्नी स्व0 श्री रामेश्वर,
   4/2. रतन पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर,
   4/3. मोहन पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर,
   4/4. विमला पत्नी श्री गणेश पुत्री श्री रामेश्वर, जाति बैरवा, निवासीयान ग्राम कूच्यावास, तहसील फागी, जिला जयपुर।
5. मनभर देवी पत्नी श्री धन्ना लाल बैरवा निवासी बैरवा की ढाणी तन लदाना, तहसील फागी, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 28.05.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय जयपुर के आदेश दिनांक 28.11.2011 (प्रकरण संख्या 11/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने एक अपील खसरा नम्बर 5 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 6 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 8 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 11 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 21 रकबा 5 बिघा, खसरा नम्बर 23 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, वाके ग्राम कुच्यावास, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है, जो अपीलान्ट के गुरू मोतीदास वल्द केशवदास, कौम स्वामी साकिन जयपुर की खातेदारी की भूमि थी, उक्त भूमि का पर्चा अपीलान्ट के गुरू मोतीदास के नाम जारी हुआ था, उक्त मोतीदास की खातेदारी का समाप्त करते हुये नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 30.08.1960 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के पिता एवं बालू पुत्र भूरा चमार के नाम से नायब तहसीलदार फागी ने खातेदारी दर्ज कर दी तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् विरासत में रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी जिससे व्यथित होकर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 30.08.1960 के विरूद्ध एक अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष पेश की आदेश दिनांक 28.11.2011 के द्वारा खारिज फरमा दी गई जिससे व्यक्ति होकर अपीलान्ट ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की जिस पर न्यायालय श्रीमान् ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील पर आदेश दिनांक 02.07.2013 के द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2011 व नामान्तरकरण संख्या 2 पर नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.1960 को निरस्त करते हुये तहसीलदार को निर्देश दिये कि आराजीयात भूमि अपीलार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावें जिससे व्यक्ति होकर रेस्पोडेन्ट की ओर से राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष आदेश दिनांक 02.07.2013 के विरूद्ध अपील पेश की गई जिस पर राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 09.03.2017 को आदेश पारित करते हुये निर्णय दिया कि अपील प्रस्तुत करने में 51 वर्ष के विलम्ब का कोई उचित कारण स्पष्ट नही किया है तथा ना ही धारा 19 के तहत जो नामान्तरकरण संख्या 2 खोला गया है उस पर भी कोई निर्णय पारित नही किया है तथा वर्ष 1955 मे जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तत्समय भूमि पर कौन काश्त कर रहा था तथा इन्द्र कुमार को अपील पेश करने का क्या अधिकार था।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय में दिये गये बिन्दुओं के सन्दर्भ में कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 30.08.1960 के द्वारा काश्तकार होने के नाते विवादग्रस्त भूमि धारा 19 काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट के नाम नायब तहसीलदार के द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है, उक्त नामान्तरकरण संख्या 2 की जानकारी मोतीदास को कभी नही रही है क्योंकि वरवक्त नामान्तरकरण ना तो मोतीदास को कोई नोटिस दिया गया व ना ही उसे सुना गया तथा बिना किसी विधिक अधिकार के मोतीदास की खातेदारी भूमि में मोतीदास का नाम विलोपित कर रेस्पोडेन्ट के नाम बिना किसी विधिक अधिकार के दर्ज कर दी गई, किसी व्यक्ति की खातेदारी भूमि को बिना उसकी सहमति तथा बिना उसको सुने व धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट के गुरू मोतीदास की खातेदारी समाप्त कर दी गई, जो कि विधि के प्रावधानों के सर्वथा ही विपरीत है, मोतीदास का देहावसान दिनांक 09.06. 1962 को हो गया था तथा उनकी मृत्यु के समय अपीलान्ट नाबालिंग था तथा नाबालिंग होने की वजह से उसे उक्त नामान्तरकरण की कभी कोई जानकारी नही रही है, जब अपीलान्ट बालिंग होकर समझदार हुआ तत्समय उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम से दर्ज हो चुकी थी इस कारण से अपीलान्ट को नामान्तरकरण संख्या 2 के सम्बन्ध में कभी कोई जानकारी नही रही है व ना ही मोतीदास को कभी उक्त नामान्तरकरण की जानकारी रही है क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 2 मोतीदास की मौजूदगी में, बिना सुने खोला गया था। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

फागी के यहाँ अन्य खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था जिसमें इन्द्र कुमार के अधिवक्ता उपस्थित हुये थे, जिन्होने वाद मे अंकित तथ्यों के संदर्भ में कोई तथ्य अपीलान्ट इन्द्र कुमार का नही बताया था तथा ना ही उक्त प्रकरण में अपीलान्ट इन्द्र कुमार द्वारा कोई जवाब पेश किया गया था, अधिवक्ता द्वारा वाद में अंकित सभी तथ्यों की जानकारी अपीलान्ट इन्द्र कुमार को दी जाती तो उसके द्वारा समुचित रूप से जवाब दिया जाता तथा जिससे उसे नामान्तरकरण संख्या 2 की जानकारी होती तो तत्समय ही अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की जा चुकी होती परन्तु उक्त नामान्तरकरण संख्या 2 व वाद में अंकित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कभी कोई जानकारी वाद में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में नही दी वरन् उनके द्वारा अपीलान्ट को मात्र यह अवगत कराया गया कि आपके विरूद्ध वाद प्रस्तुत हुआ है, इस पर अपीलान्ट द्वारा अपना वकालतनामा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेश कर दिया गया, तत्पश्चात् अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद में वर्णित भूमि व उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी अपीलान्ट को नही दी इस कारण से उक्त वाद अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा डिक्री पारित कर दी, उक्त डिक्री की जानकारी होने पर अपीलान्ट इन्द्र कुमार ने केवल मात्र डिक्री को अपास्त कराने हेतु दिनांक 15.02.2008 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत पेश किया जो वर्तमान में विचाराधीन है, उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के पश्चात् अपीलान्ट इन्द्र कुमार अपनी किडनी की बीमारी से ग्रसित हो गया एवं तत्पश्चात दोनों किडनी फेल हो गई थी जिस कारण से वह अपने अधिवक्ता से उक्त वाद के सम्बन्ध में समस्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त नही कर पाया तथा अपना ईलाज करवाने हेतु अपीलान्ट को समय–समय पर बाहर भी जाना पड़ा, तत्पश्चात् वर्ष 2011 में अपने अधिवक्ता जो फागी में नियुक्त थे, से प्रकरण के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की तो उन्होने उक्त नामान्तरकरण संख्या 2 के बारे मे जानकारी दी, तत्पश्चात् उक्त नामान्तरकण की नकल लेने से सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्राप्त हुई इस कारण से अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ तथा उक्त नामान्तरकण संख्या 2 कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुये तथा नायब तहसीलदार को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त नही होते हुये भी उसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2 तस्दीक किया गया हो, जो कि विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर तस्दीक किया गया है, जो अपने आप में ही अवैध व प्रभाव शून्य है एवं अवैध व प्रभाव शून्य नामान्तरकरण संख्या 2 पर मियाद अधिनियम का बिन्दू लागू नही होता है।

अधिकत अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के पूर्व एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 में अपीलान्ट इन्द्रकुमार के गुरू व पिता मोतीदास उक्त आराजी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा भूमि पर उनके द्वारा भूमि काश्त की जा रही थी, इस सम्बन्ध में अपीलान्ट इन्द्र कुमार ने वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2014 तक की खसरा गिरदावरियों न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पूर्व में ही

पंचायतीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत कर रखी है, जो पत्रावली पर मौजूद है जिससे यह पूर्णतया प्रमाणित होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व एवं लागू हुआ तत्समय मोतीदास ही उक्त आराजी भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा था धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को अगर खातेदारी प्रदान की जाती है तो उसका उप कृषक के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकिन होना आवश्यक है तथा यदि किसी व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड में उप कृषक के रूप में दर्ज है तो उसे धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा व खातेदारी का वाद लाना चाहिये था तथा कृषक व उपकृषक के मध्य लगान की संविदा होना आवश्यक था, उपरोक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट ना तो उपकृषक के रूप में दर्ज थे, ना ही अपीलान्ट मोतीदास व रेस्पोडेन्ट के मध्य कोई लगान की संविधा होना प्रकरण मे साबित है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट को जो खातेदारी प्रदान की गई है, वह भूमिहीन काश्तकार होने की वजह से, प्रदान की गई है जबकि धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उप कृषक ही खातेदारी के लिये प्रार्थना पत्र या वाद प्रस्तुत कर सकता है, हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर मौजूद नही है, ऐसी स्थिति में जो नामान्तरकरण संख्या 2 धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खोला गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित धारा 19 के प्रावधानों के व उसमें उल्लेखित नियमों के विपरित जाकर खोला गया है, ऐसी स्थिति जो नामान्तरकरण कानून के प्रावधानों के विपरित जाकर खोला गया है, वह शुरू से ही अवैध व प्रभावशून्य है, ऐसी सूरत में उक्त नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 30.08.1960 निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश के परिपेक्ष्य में इन्द्र कुमार द्वारा अपील पेश करने का क्या अधिकार था इस सम्बन्ध में स्वामी मोतीदास ने वसीयत दिनांक 19.04.1962 अपीलान्ट के पक्ष में सम्पादित की थी, उक्त वसीयत दिनांक 19.04.1962 के आधार पर प्राबेट प्रार्थना पत्र माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर शहर के समक्ष पेश किया था जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 03.07.1964 को प्रोबेट प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जिससे यह पूर्णतया साबित है कि मोतीदास का एकमात्र चेला/उत्तराधिकारी अपीलान्ट इन्द्र कुमार है जिसे उक्त अपील पेश करने का पूर्णतया हक व अधिकार हांसिल है, प्रोबेट प्रमाण पूर्व में ही अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत कर रखा है, जो पत्रावली में मौजद है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 30.08.1960 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधिवक्ता अपीलान्ट के कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण न्यायालय श्रीमान् को रिमाण्ड किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फागी के आदेश दिनांक 30.08.1960 बाबत

नामान्तरकरण संख्या 2 की जानकारी के 51 वर्षो के विलम्ब के विषय को ध्यान में रखते हुये तथा अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की क्या लोकस स्टेण्डाई के बारे में निर्णय करना है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट के तथाकथित गुरू मोतीदास के जीवनकाल में नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 30.08.1960 को नायब तहसीलदार फागी द्वारा विवादित नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था जिसकी जानकारी मोतीदास को प्रारम्भ से थी जिसके सर्मथन मे मोतीदास द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता के पक्ष मे एक लिखावट दिनांक 12.07.1956 को स्टाम्प पेपर लिखकर दे दिया जो न्यायालय श्रीमान् के यहाँ पत्रावली पर प्रमाणित प्रतिलिपि रिकार्ड पर है, नायब तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता बालू का काश्त होने तथा अपीलान्ट के तथाकथित गुरू की सहमति के आधार पर राज्य सरकार परिपत्र एफ. 1(236)रेवेन्यूडी / 56 दिनांक सितम्बर 1956 जिसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार के अधिकार नामान्तरकरण के अपने क्षेत्र में अधिकार प्रदान कर दिये थे। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के पिता बालू चमार के नाम सम्वत् 2008 से 2012 तक काश्त गिरदावरी होने तथा भूमि पर रेस्पोडेन्ट के पिता का काश्त होने तथा अपीलान्ट के तथाकथित गुरू मोतीदास द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता का कब्जा होना तथा खतौनी में गैर खातेदारी गलत रूप से दर्ज होना स्वीकार करने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 19(1) के अनुसार रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था जिसकी अपील न तो मोतीदास द्वारा और न ही 50 वर्ष तक अपीलान्ट द्वारा कभी किसी सक्षम न्यायालय में चनौती दी गई तथा जयपुर काश्तकारी अधिनियम में खसरा गिरदावरी को अधिकार रिकार्ड माना गया है तथा खातेदारी बाबत दावा करने की आवश्कयता नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट के तथाकथित गुरू स्व. मोतीदास उर्फ मोतीराम की विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 8, 21, 23, 24, 108 कुल किता 5 कुल रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम कूव्यावास तहसील फागी का नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 30.08.1960 को मोतीदास के बयान के आधार पर तस्दीक किया, जिसकी लिखावट मोतीदास द्वारा दिनांक 12.07.1956 को कब्जा काश्त रेस्पोडेन्ट के पिता का होना माना था। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के खाते में शेष बची भूमि के लिए रेस्पोडेन्ट द्वारा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 59 / 97 उनवानी श्रवण बनाम इन्द्रकुमार प्रस्तुत किया जिसमें विवादग्रस्त आराजी का हवाला वाद के पैरा संख्या 4 में उल्लेखित करते हुये प्रस्तुत किया वाद में अपीलान्ट दिनांक 05.09.1998 को जरिये एडवोकेट उपस्थित हुऐ तथा जवाब दावा प्रस्तुत नही किया जवाब खुलवाने बाबत दिनांक 26.05.2000 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, विधिक प्रक्रिया द्वारा विवादग्रस्त खाते में बची भूमि का न्यायालय सहायक कलक्टर फागी से डिक्री हो गई, निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा दिनांक 15.02.2008 को न्यायालय सहायक कलक्टर फागी में आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि मेरी दोनों किडनी फेल हो जाने के कारण अपील प्रस्तुत करने में 51 वर्ष का विलम्ब होना कारण बताया गया जो न तो पत्रावली में चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही होने के कारण किसी भी प्रकार से लाभ पाने का अधिकारी नही है, अपीलान्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि स्वामी मोतीदास ने वसीयत दिनांक 19.05.1962 को अपीलान्ट के पक्ष में सम्पादित कर दी जिसके आधार पर न्यायालय से प्रोबेट दिनांक 03. 07.1964 को जारी किया गया जबकि रेस्पोडेन्ट स्व. मोतीदास द्वारा दिनांक 12.07.1956 को कब्जा होना माना जिसकी लिखावट से साबित है, तथा वसीयत में कही भी विवादग्रस्त आराजी का उल्लेख नही होने के कारण वसीयत के आधार पर किसी भी प्रकार का लाभ पाने का अधिकारी नही होने से अपील प्रस्तुत करने का किसी भी प्रकार से अधिकारी भी नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, न्यायालय सहायक कलक्टर फागी में वाद संख्या 59/97 जिसमें विवादग्रस्त आराजी का उल्लेख है तथा अपीलान्ट द्वारा उपस्थित थे तथा वाद खारिज होने पर अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2008 को आदेश 9 नियम 13 का प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2008 में दोनों किडनी फैल हो जाना उल्लेखित किया गया है जिसमें किसी चिकित्सालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही होने के कारण विश्वास योग्य नही है, इस प्रकार अपील जानकारी के मियाद बाहर होने तथा अपीलान्ट के गुरू ने दिनांक 12.07.1956 को कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है तथा अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही होने से अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 2 वाके ग्राम कूच्यावास तहसील फागी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों का कब्जा होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों के नाम नामान्तरकरण दिनांक 30.08.1960 को नायब तहसीलदार फागी द्वारा खोला गया है जिसे मोतीदास द्वारा अपने जीवनकाल में कभी चुनौती नही दी गई इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोतीदास की उक्त नामान्तरकरण में अपनी सहमति थी तथा अपीलान्ट द्वारा मोतीदास की मृत्यु के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त नामान्तरकरण के विरूद्ध लगभग 50 वर्ष पश्चात् अपील पेश की गई तथा इतने लम्बे 50 वर्ष के विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ठोस कारण प्रस्तुत नही किया गया है जबकि विलम्ब को कण्डोन करने के लिये दिन-प्रतिदिन के विलम्ब का कारण दिया जाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 50

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

वर्ष के विलम्ब को कण्डोन किये जाने का कोई ठोस व उचित आधार नही होने के कारण ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2011 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2011 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।